उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-99/2015/3097/26-33-2015-4(2)12 टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी, हाथरस के पत्रांक-906-08/स.क./महाविद्यालय/2012-13, दिनांक-01.01.2013 एवं पत्रांक-76-78/स.क./शुल्क-छात्रवृत्ति/2013-14, दिनांक-01.05.2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1269/26-3-2013-4(2)/2012,दि0-11.11.2013 द्वारा जनपद-हाथरस की निम्नलिखित 10 शिक्षण संस्थाओं को 'ब्लैक लिस्ट' करते हुए प्रकरण की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से जॉच कराने का निर्णय लिया गयाः-

(1)- श्री विजेन्द्र जनता पी0जी0कालेज, विसावर, हाथरस।

(2)- आर0पी0कन्या महाविद्यालय, बुढ़ाईच जलेसर रोड, हाथरस।

(3)- श्रीमती राजारानी महाविद्यालय, जुलाहपुर, हाथरस।

(4)- श्री कृष्ण योगी राज डिग्री कालेज, रतिभानपुर, हाथरस।

(5)- श्रीमती लौंगश्री महाविद्यालय, नगला आल, हाथरस।

(6)- श्रीकृष्ण योगीराज टेक्निकल इन्स्टीट्यूट हाथरस।

(7)- के0जी0एन0डिग्री कालेज सिकन्दरा मऊ हाथरस।

(8)- भूदेबी खुशालीराम महाविद्यालय, हसायन, हाथरस।

(9)- एस0डी0एजूकेशनल जलेसर रोड़ हाथरस

(10)- आर0पी0आई0टी0सी0 बुढ़ाइच जलेसर रोड़ हाथरस।

2- उक्त शिक्षण संस्थाओं में से श्रीमती लौंगश्री महाविद्यालय, नगला आल, हाथरस द्वारा शासन के उक्त आदेश दिनांक-11.11.2013 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-218/2014 श्रीमती लौंगश्री महाविद्यालय, नगला आल, हाथरस बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2014 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है-

> The grievance of the petitioner is that the petitioner institution has been blacklisted without affording any opportunity to it. It is averred in paragraph-8 of the writ petition that no notice or opportunity has been given to the petitioner before passing the impugned order. Learned Counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court to a report submitted by the concerned Sub-Divisional Magistrate and Circle Officer dated 08.07.2011, wherein it is recorded that the authorities concerned have made the spot inspection and after enquiry it was found that the petitioner has not realized the excess fee.
>
> Be that as it may, as the impugned order dated 11.11.2013 has been passed without complying with the principles of natural justice, therefore, it is liable to be set aside insofar as it relates to the petitioner institution and accordingly, it is set aside. The matter is remitted to the State Government to pass a fresh order, after affording opportunity to the petitioner, expeditiously preferably within a period of two months from the date of communication of this order. It goes without saying that the order passed by the State Government afresh shall be communicated to the petitioner.
>
> Needless to say that this Court has not expressed its opinion on the merits of the case. The State Government shall pass the order independently in accordance with law. Accordingly, the writ petition is disposed of.
>
> No order as to costs.

3- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में याची शिक्षण संस्था द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-07.05.2014 शासन को उपलब्ध कराते हुये ब्लैकलिस्ट से मुक्त किये जाने की मांग की गयी। मा0 उच्च

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-22.01.2014 का संज्ञान लेते हुये शासन स्तर से शासनादेश दिनांक-11.11.2013 द्वारा ब्लैकलिस्ट की गयी सभी 10 शिक्षण संस्थाओं को शासन स्तर से पत्र दिनांक-14.10.2014 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुये जबाब/उत्तर मांगा गया था। उक्त के क्रम में 05 शिक्षण संस्थाओं का उत्तर शासन को प्राप्त हुआ।

4- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमितता बरतने हेतु दोषी शिक्षण संस्थाओं/व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने (ब्लैकलिस्ट, एफ.आई.आर, मान्यता निरस्त कराने, वसूली इत्यादि) के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2312/26-3-2014, दिनांक-03.12.2014 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय समिति गठित करते हुये प्रक्रिया निर्धारित की गयी। अतएव उक्त के दृष्टिगत मा0उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-22.01.2014 से आच्छादित शिक्षण संस्थाओं जिनका उत्तर शासन को प्राप्त हुआ था, को पत्र संख्या-2044/26-3-2014-4(2)/12 टी.सी, दिनांक-29.12.2014 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति को विचार हेतु सन्दर्भित किया गया है। प्रकरण में समिति द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है। अतएव निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपरोक्त 10 शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय एक माह के अन्दर लेना सुनिश्चित करेंगी।

अतएव सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-22.01.2014/18.09.2015 के अनुपालन में जनपद-हाथरस की 10 शिक्षण संस्थाओं को 'ब्लैक लिस्ट' किये गये सम्बन्धी शासन के उक्त आदेश दिनांक-11.11.2013 को तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा अपास्त (Set aside) किया जाता है।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-99/2015/3097(1)/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उक्त याचिका संख्या-218/2014 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2014 एवं अवमानना याचिका संख्या-336/2015 में पारित आदेश दिनांक-27.01.2015 एवं अवमानना याचिका संख्या-4521/2015 में पारित आदेश दिनांक-31.07.2015 के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2- निदेशक, समाज कल्याण को उनके पत्रांक-1659/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-07.08.2015 के सन्दर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्तर-4 के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
3- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा।
4- जिलाधिकारी, हाथरस।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस।
7- श्रीलौंग श्रीदेवी महाविद्यालय, नगलाआल, हाथरस एवं सम्बन्धित अन्य शिक्षण संस्था।
8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in